न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 88/2025 (उदयपुर डिकी)

1. मृतक लालू के बजाय :–

1/1. उमालाल डांगी पिता लालू जी डांगी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. नारायणलाल डांगी पिता लालू जी डांगी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. मृतक दूदा के बजाय :–

2/1. कन्हैयालाल डांगी पिता दूदा जी डांगी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. शंकरलाल डांगी पिता दूदा जी डांगी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. महादेव स्थानदेह कानपुर जरिये देवस्थान आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. महादेव स्थानदेह कानपुर जरिये वाद मित्र भगवतीदास पुत्र लेहरीदास वैरागी, निवासी कानपुर खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि0 27.06.2024 प्र.सं. 101/19

---/---

उपस्थित :– 1– श्री भीमराज पटेल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री धनसिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण

---::---

निर्णय **दिनांक 07–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कानपुर में आराजी नंबर 1172 रकबा 0.2300 हैक्टर भूमि स्थित है, जो चाह नंबर 1134 से सिंचित होती है। उक्त भूमि [illegible] अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जिसके साबिक आराजी नंबर 807 रकबा 1 बीघा थे जो साबिक चाह नंबर 759 से सिंचित होती थी। उक्त साबिक आराजी नंबर राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम दर्ज थी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु हाल बन्दोबस्त के दौरान वादीगण का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया गया, जो बिना अधिकार के हैं। अतः वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की तथा वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 27–06–2024 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्टगण की से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजियात पर संवत् 1987 से बतौर खडमदार काबिज चले आ रहे हैं। विवादित भूमि देवस्थान मंदिर मूर्ति की नहीं होकर अपीलान्टगण के खातेदारी की है। राज्य सरकार ने उक्त आराजी को सर्कुलर के जरिये महादेव स्थानदेह के नाम दर्ज करने व खडमदार व पुजारी का नाम हटाने का जो आदेश दिया है, वह गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त सर्कुलर के आधार पर वाद खारिज करने में भारी भूल की है। अपीलान्टगण का विवादित भूमि पर कब्जा होकर खड़मदार काश्तकार होने से खातेदारी घोषणा के अधिकारी हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहों व दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर बिना कोई गौर किये वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 537, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज [illegible] आर.आर.डी. 2000 पेज 570 प्रस्तुत की।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक उक्त बहस का खण्डन [illegible] हुए निवेदन किया कि खडमदार की भूमि पूजा व आजीविका तक [illegible] सीमित थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested

उसके खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिये जा सकते। उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की भूमि है, जिसके विक्रय करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 एवं संवत् 3031 से 2034 में साबिक आराजी नंबर 807 रकबा 1 बीघा भूमि श्री महादेव स्थान देह पुजारी श्री मांगीदास पिता मोड़ीदास वैरागी तथा खडमदार लाला दूदा पिता चेना डांगी दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 में हाल आराजी नंबर 1172 रकबा 0.2300 हैक्टर में भी इसी प्रकार का इन्द्राज है, जबकि हाल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में हाल आराजी नंबर 1172 रकबा 0.2300 हैक्टर श्री महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज है। उक्त जमाबन्दियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी उक्त भूमि के कभी भी खातेदार नहीं रहे हैं, बल्कि शुरू से ही श्री महादेव स्थान देह भूमि इस भूमि के खातेदार दर्ज रहे हैं। ऐसी भूमियों बाबत् राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व ग्रुप (6) क्रमांक प.2(4)राज.4/90/37 दिनांक 13–12–1991, जिसमें मंदिर या देवस्थान भूमि के साथ पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, उसे हटाने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राज्य सरकार के उक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए ही वादीगण का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें भू–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के इन्द्राज परिवर्तन नहीं होने का अभिमत है, जो इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शु[illegible] की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति [illegible])
भू-प्रबन्ध [illegible]कारी
एवं पदेन राजस्[illegible] अपील अधिकारी
उ[illegible]

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

मृतक लालू के बजाय उमालाल पिता लालू जी डांगी, निवासी कानपुरखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **महादेव स्थानदेह कानपुर जरिये देवस्थान आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर व अन्य**

अपील नं.......**88/2025**......व नाराजगी डिगरी अदालत ....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा**........... मुकाम..........मुवर्खे..........**27**..........माह......**06**............**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह......**08**.....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी........**श्री भीमराज पटेल**.......मिनजानिब अपीलान्ट व.......**श्री धनसिंह झाला** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 27–06–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**07**......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील व [illegible] के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:18 IST
Reason: SelfAttested